

झारखण्ड सरकार

**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची**

**कार्यालय क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दमका।**

**दो वर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (डी०एल०एड० कोर्स) सत्र 2023–25 में नामांकन हेतु विज्ञापन**

**विज्ञप्ति सं० – 01 / 2023**

सरकार के प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या 1382 दिनांक 20.05.2004 एवं विभागीय संकल्प संख्या 2102 दिनांक 28.07.2004, संकल्प संख्या 236 दिनांक 25.01.2006, संकल्प संख्या 1386 दिनांक 03.08.2012, विभागीय पत्रांक 1684 दिनांक 17.09.2013 एवं निदेशक, झारखण्ड शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद, राँची के पत्रांक 915 दिनांक 07.11.2022 के आलोक में संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के अन्तर्गत अवरिथत निम्नांकित राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में दो वर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (डी०एल०एड० कोर्स) सत्र 2023–25 में नामांकन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 31.03.2023 के संख्या 5:00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। महिला आवेदक मात्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) जसीडीह, देवघर के लिए ही आवेदन कर सकती हैं।

क्र०	प्रशिक्षण महाविद्यालय / डायट संस्थान का नाम	सीटों की संख्या
1	राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय घोरमारा, देवघर (सिर्फ पुरुष हेतु)	50
2	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) गुम्मा, गोड़डा। (सिर्फ पुरुष हेतु)	50
3	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) जसीडीह देवघर (सिर्फ महिला हेतु)	50

2— शैक्षणिक योग्यता :- दो वर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (डी०एल०एड० कोर्स) सत्र 2023–25 में नामांकन हेतु वे ही उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/परिषद से उच्च माध्यमिक परीक्षा/इंटरमीडियट अथवा उसके समकक्ष किसी अन्य परीक्षा में कम–से–कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) तथा दिव्यांग कोटि के उम्मीदवारों के लिए 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

3— आवासीय — आवेदकों का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे।

केवल वे ही आवेदक / आवेदिका नामांकन पा सकते हैं जो :-

- (i) वे झारखण्ड के भौगोलिक सीमा में पैदा हुए हो अथवा
- (ii) (क) वे,  
(ख) उनके पालकों (Parents) में से कोई ,  
(ग) उनके पालकों (Parent) में से कोई जीवित न हो तो उनके वैद्य अभिभावक (Parents) झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में निरन्तर कम से कम 15 (पन्द्रह) वर्षों से रह रहे हों अथवा
- (iii) उनके पालकों (Parents) में से कोई भी  
(क) झारखण्ड राज्य शासन में सेवारत हो या सेवा निवृत कर्मचारी हो अथवा  
(ख) जिनके पालकों (Parents) में से कोई भी भारत सरकार के कर्मचारी हों और प्रतिनियुक्ति पर झारखण्ड राज्य में या झारखण्ड में स्थित भारत सरकार द्वारा संचालित उपक्रमों/संस्थानों के कर्मचारी हो अथवा
- (iv) (क) वे स्वयं,  
(ख) उनके पालकों (Parent) में से कोई भी झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में पिछले 5 (पाँच) वर्षों से कोई अचल संपत्ति / उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हों।
- (v) (क) उसने अपनी शिक्षा झारखण्ड के किसी भी शिक्षण संस्थान में कम से कम 7 (सात) वर्षों तक प्राप्त की हो अथवा  
(ख) यदि संस्थान में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित की गई हो तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा

  - (i) यदि संस्थान में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित की गई हो तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की हो।
  - (ii) झारखण्ड को आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की संतान एवं उनकी पत्नी/पति हो।
  - (iii) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति की पत्नी/पति हो।
  - (iv) आवेदक के पिता मूल निवासी की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं और यदि वह सैनिक सेवा के कारण झारखण्ड में पदरथापित नहीं हो सका है तो वे आवेदन के योग्य होंगे भले ही उसने राज्य के किसी भी शिक्षण संस्थान में शिक्षा नहीं प्राप्त की हो, यह सुविधा केवल सैनिक सेवाअधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध होगी।
  - (v) भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए संस्थानों में प्रवेश हेतु मूल निवासी प्रमाण पत्र में छूट अनुमान्य होगी।

2/2/23

- (vi) वैसे अभ्यर्थी जो कश्मीर से आए हुए विस्थापित परिवारों के हो तथा जिनके पालकों (Parents) में से कोई भी झारखंड में शरणार्थी के रूप में पंजीकृत हों ,
- (vii) झारखंड के माननीय सांसदों/पूर्व सांसदों/विधायकों/पूर्व विधायकों/पूर्व पार्षदों एवं बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के आलोक में झारखंड राज्य के पार्षदों के पुत्र/पुत्रियां हों
- (viii) इन प्रशिक्षण महाविद्यालयों में नामांकन हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र उन्हीं आवेदकों को जारी किया जायेगा जो किसी अन्य राज्य के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र से आच्छादित न हो ।

विवाहित महिला आवेदक जो दूसरे राज्य की हो और इस राज्य में उनका संसुराल हो तो वे अपना आवासीय प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करें। पति के आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर दावा मान्य नहीं होगा।

4— आयु सीमा :— आवेदक की उम्र पहली जुलाई 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष होना अनिवार्य है।

5— आरक्षण :— कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड के पत्र संख्या—1072 दिनांक 17.02.2009 एवं 1433 दिनांक 15.02.2019 तथा पत्र संख्या 5360 दिनांक 08.07.2019 के आलोक में नियमानुसार आरक्षण कोटि के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। आरक्षण कोटि के आवेदकों का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे। दूसरे राज्य से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर इस राज्य के आरक्षण कोटा में लाभ देय नहीं है।

6— चयन :— विभागीय संकल्प संख्या 1386 दिनांक 03.08.2012 के अनुसार विभिन्न परीक्षाओं के प्राप्तांकों के आधार पर चयन समिति अभ्यर्थी के चयन हेतु मेधांक की गणना नीचे दी गई सारणी में अंकित मेधांक के अनुसार करेगी।

क्र०	प्राप्तांक (अनारक्षित / आरक्षित कोटि)	परीक्षावार एवं प्राप्तांक प्रतिशतवार अनुमान्य मेधांक				
		मैट्रिक	उच्च माध्यमिक /(+2)	स्नातक	पास कोर्स/प्रतिष्ठा	स्नातकोत्तर
(i)	50% / 45% से अधिक एवं 60% से कम	5	5	5	10	5
(ii)	60% / से 65% तक	6	6	6	11	6
(iii)	65% से अधिक एवं 70% से तक	7	7	7	12	7
(iv)	70% से अधिक एवं 75% से तक	8	8	8	13	8
(v)	75% से अधिक एवं 80% से तक	9	9	9	14	9
(vi)	80% से अधिक	10	10	10	15	10

प्रवेश हेतु कुल मेधांक —

एन०सी०सी० (बी० सर्टिफिकेट) —

एन०सी०सी० (सी० सर्टिफिकेट) —

खेलकूद जिसमें राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो —

खेलकूद जिसमें देश का प्रतिनिधित्व किया हो —

कुल मिलाकर  $45 + 5 = 50$  अंक

45

2 अंक

3 अंक

3 अंक

5 अंक

कुल मेधांक समान होने पर उच्चतर शैक्षणिक योग्यताधारियों को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी। यदि सभी कुछ समान हुए तो जिस उम्मीदवार की जन्म तिथि पूर्व की हो, उन्हें जन्म तिथि के आधार पर चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

7— सीटों का बंटवारा :— विभागीय संकल्प संख्या 1386 दिनांक 03.08.2012 के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं डायट संस्थानों में दो वर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (डी०एल०एड०) में सीटों का बंटवारा एवं उसके विरुद्ध नामांकन निम्नवत् होगा —

क्र०	विषय	विषय समूह	प्रतिशत
1	भाषा	हिन्दी/संस्कृत/अरबी/फारसी/उर्दू	30 प्रतिशत
		अंग्रेजी	10 प्रतिशत
		जनजातीय / क्षेत्रीय भाषाएं	10 प्रतिशत
2	विज्ञान	भौतिकी एवं गणित	15 प्रतिशत
		रसायन एवं जीव विज्ञान	15 प्रतिशत
3	समाज अध्ययन	इतिहास/भूगोल/नागरिक शास्त्र/अर्थशास्त्र/वाणिज्य	20 प्रतिशत

उपर्युक्त विषय के विषय समूह में से किसी एक विषय समूह में ही आवेदन किया जा सकेगा। जिस विषय समूह के लिए आवेदन किया जा रहा है, उसमें आवेदक को इन्टरमीडिएट/+2 की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

21/2/21

**8— दिव्यांग उम्मीदवार** :— दिव्यांग आवेदकों को सरकार के प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार, रॉची के ज्ञापांक 2249 दिनांक 03.04.2018 के आलोक में 05 प्रतिशत आरक्षण अपने ही कोटि के अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। दिव्यांग कोटि में आरक्षण का दावा सक्षम प्राधिकार (मेडिकल बोर्ड) द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर ही मान्य होगा। अन्यथा उन्हें दिव्यांग कोटि में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

**9— आवेदन शुल्क** :— आवेदन पत्र के साथ सामान्य/अत्यंत पिछङ्ग वर्ग (अनुसूची-1)/ पिछङ्ग वर्ग (अनुसूची-2) कोटि के आवेदक ₹ 100/- (एक सौ रुपये) का तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक के लिए ₹ 30/- (तीस रुपये) का बैंक ड्राफ्ट शुल्क के रूप में देय होगा। बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत तथा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका या अंग्रेजी में R.D.D.E. Santhal Pargana Division, Dumka के पदनाम से निर्गत तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुख्य शाखा, दुमका में भुगतेय होना चाहिए। बैंकर्स चैक या पोस्टल ऑर्डर किसी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।

**10— आवेदन कैसे करें** :— दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित विहित प्रपत्र में नामांकन हेतु पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों सहित, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका कार्यालय, मोहल्ला-सराय रोड नया पाड़ा, पुराना गल्स्स स्कूल परिसर, दुमका, पोस्ट+जिला-दुमका, पिन कोड- 814101 को निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें। किसी भी परिस्थिति में हाथों-हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। महिला आवेदक होने की स्थिति में लिफाफे के उपर लाल स्याही/रोशनाई से महिला उम्मीदवार अंकित करेंगे। नामांकन के लिए बुलावा पत्र हेतु 23 X 10 सें.मी. स्वपता लिखा हुआ लिफाफा जिस पर 25/-रुपये का डाक टिकट चिपका हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।

**अनुलग्नक** :— आवेदन प्रपत्र के कॉलम 14 में दिया गया है।

**11— आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि** :— भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 31.03.2023 के अपराह्न 5:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

**12— औपबंधिक मेधा सूची** दुमका जिला के अधिकारिक वेबसाईट ([एन०आई०सी०](#)) में अपलोड की जायेगी एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी एवं प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची पर दावा/आपत्ति निर्धारित तिथि तक प्राप्त किये जायेंगे एवं आपत्ति निराकरण कर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित की जायेगी तथा नामांकन हेतु प्रथम मेधा सूची का प्रकाशन अधिकारिक वेबसाईट ([एन०आई०सी०](#)) में अपलोड की जायेगी तथा संबंधित प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राचार्य के द्वारा डाक के माध्यम से भी सूचित किया जायेगा। चयन नहीं होने वाले अभ्यर्थी को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी जायेगी। चयनित आवेदकों को नामांकन के समय सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति उपस्थापित करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रमाण पत्र के अभाव में नामांकन नहीं लिया जायेगा तथा उनका दावा अस्वीकृत कर दिया जायेगा। अस्वीकृत आवेदन पत्र कार्यालय अभिलेख के रूप में रखे जाएंगे अर्थात् इसे लौटाया नहीं जाएगा।

**13— विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात् यदि विभाग द्वारा किसी प्रकार का आदेश/निदेश प्राप्त होता है तो उस स्थिति में नामांकन हेतु चयन की सारी प्रक्रिया उस आदेश से प्रभावित होगा। इसके लिए अधोहस्ताक्षरी को सर्वाधिकार रहेगा। लिफाफे पर लिखें :— संथाल परगना प्रमंडल दुमका अन्तर्गत राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय घोरमारा (देवधर) /गुम्मा (गोड्डा) एवं डायट संस्थान जसीडीह (देवधर) में सत्र 2023-25 नामांकन हेतु आवेदन —**

**आवेदन भेजने का पता** :— क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका का कार्यालय, मोहल्ला- नया पाड़ा, पुराना गल्स्स स्कूल परिसर, दुमका, पोस्ट + जिला- दुमका, पिन कोड- 814101

नामांकन हेतु आवेदन पत्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र हाथों-हाथ स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

**नोट** :— दुमका जिला के अधिकृत वेबसाइट [www.dumka.nic.in](http://www.dumka.nic.in) पर भी उक्त विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र का प्रपत्र डाउनलोड कर देखा जा सकता है।

2023  
११/०३/२३  
(रजनी देवी)

क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक  
संथाल परगना प्रमंडल, दुमका।

संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय घोरमारा, देवघर/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) गुम्मा, गोड्डा एवं (डायट) जसीडीह, देवघर में दो वर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (डी०एल०एड० कोर्स) सत्र 2023–25 में नामांकन हेतु

### आवेदन प्रपत्र

विज्ञप्ति सं० – ०१ / २०२३

1. आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में) :-.....

(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) :-.....

आवेदक का  
स्वअभिप्राणित  
फोटो

2. पिता/पति का नाम(हिन्दी में) :-.....

(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) :-.....

3. जन्म तिथि (माध्यमिक परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के अनुसार)

क- अंकों में..... ख- अक्षरों में .....

4. दिनांक 01.07.2023 को कुल आयु:- वर्ष..... माह..... दिन.....

5. स्थायी पता ( पिन कोड सहित ):- ग्राम / मोहल्ला:-.....

पो०:-..... थाना:-.....

जिला:-..... राज्य:-..... पिन कोड:-.....

6. वर्तमान / पत्राचार का पता (पिन कोड सहित):- ग्राम / मोहल्ला:-.....

पो०:-..... थाना:-.....

जिला:-..... राज्य:-..... पिन कोड:-.....

नोट :- आवेदकों का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत ऑनलाईन आवासीय प्रमाण पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे। अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं होगा।

7. आरक्षण कोटि का विवरण (प्रमाण पत्र के साथ):-

सामान्य	
अनुसूचित जाति	
अनुसूचित जन जाति	
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)	
पिछड़ा वर्ग (अनुसूची -2)	
आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों के वर्ग	

नोट:- आवेदक आरक्षण कोटि के स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत ऑनलाईन जाति प्रमाण पत्र ही संलग्न करें। जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने की स्थिति में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा एवं दूसरे राज्य से निर्गत जाति प्रमाण पत्र किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं है। आवेदन पत्र के कॉलम 7 में अंकित सामान्य/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची -2)/आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों के वर्ग कोटि के सामने स्पष्ट रूप से अपनी कोटि को लिखें।

20/7/2023

### 8. शैक्षणिक योग्यता:-

क्र०	शैक्षणिक योग्यता परीक्षा का नाम	विद्यालय / महाविद्यालय का नाम जिला सहित	बोर्ड / विश्वविद्यालय परिषद् का नाम	उत्तीर्णता का वर्ष	उत्तीर्णता का श्रेणी	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क	मैट्रिक / समकक्ष							
ख	इन्टर / समकक्ष							
ग	स्नातक / समकक्ष							
घ	स्नातक (प्रतिष्ठा) / समकक्ष							
ड.	स्नातकोत्तर / समकक्ष							
च	एन०सी०सी० (दी० एंव सी० प्रमाण पत्र यदि हैं तो संलग्न करें)							
छ	खेलकूद (देश अथवा राज्य स्तर पर खेलकूद में प्रतिनिधित्व करने का प्रमाण पत्र यदि हैं तो संलग्न करें)							

9— निम्नलिखित विषय या विषय समूहों में से किसी एक विषय / विषय समूह में आवेदन किया जाएगा। जिस विषय या विषय समूह के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस विषय में आवेदक को इन्टरमीडिएट / +2 की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

1	भाषा	हिन्दी / संस्कृत / अरवी / फारसी / उर्दू	30 प्रतिष्ठत
		अंग्रेजी	10 प्रतिष्ठत
		जनजातीय / क्षेत्रीय भाषाएं	10 प्रतिष्ठत
2	विज्ञान	भौतिकी एवं गणित	15 प्रतिष्ठत
		रसायन एवं जीव विज्ञान	15 प्रतिष्ठत
3	समाज अध्ययन	इतिहास / भूगोल / नागरिक शास्त्र / अर्थोस्त्र / वाणिज्य	20 प्रतिष्ठत

किस विषय के विषय समूह में आवेदन किया जा रहा है, उसका नाम निश्चित रूप से स्पष्ट लिखें .....

10— क्या आवेदक सैनिक / भूतपूर्व सैनिक / सासंद / भूतपूर्व सासंद विधायक / भूतपूर्व विधायक / या पूर्व पार्षद के पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी हैं ? अगर हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें .....

11— क्या आवेदक निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग—जन) हैं ? अगर हाँ तो सक्षम प्राधिकार (मेडिकल बोर्ड) द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र स्वाभिप्रामाणित छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करें एवं नीचे अंकित दिव्यांगता का प्रवर्ग के सामने प्रतिशत लिखें :-

निःशक्तता का प्रवर्ग		निःशक्तता का प्रतिशत
क	अंधापन और कम दृष्टि	
ख	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	
ग	चलन निःशक्तता जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पॉल्सी, कृष्ट रोग मुक्त, बौनापन, आमलीय आक्रान्त से पीड़ित, मांसपेशीय दूर्विकास (Muscular Dystrophy)	
घ	स्वलीनता (Autism), बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी	
ड	बहु निःशक्तता (Multiple disabilities) जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न स्थितियों के मिलने से हो, वह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है	

2/29

12— आवेदन शुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट का विवरण – सामान्य/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) कोटि के आवेदक के लिए रूपया 100/- और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के आवेदक के लिए रूपया 30/- का बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के पदनाम से निर्गत तथा दुमका में भुगतेय हो, संलग्न करें। (किसी भी परिस्थिति में पोस्टल ऑर्डर स्वीकार्य नहीं होगा)

बैंक का नाम ..... बैंक किस स्थान पर है उसका पता पिन सहित .....

..... राशि— ..... बैंक ड्राफ्ट संख्या:— ..... एवं तिथि:— .....

13— पुरुष आवेदक, ऊपर अंकित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गुम्मा, गोड़डा अथवा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, घोरमारा, देवघर में से किस में नामांकन कराना चाहते हैं, प्राथमिकता के अनुसार उसका नाम अंकित करें।

(1)..... (2) .....

**नोट:**— प्रशिक्षण महाविद्यालय/डायट संस्थान में चयनित होने पर निर्धारित तिथि तक नामांकन कराना अनिवार्य होगा अन्यथा नामांकन का दावा समाप्त हो जायेगा। किसी भी परिस्थिति में चयनित/अनुशासित प्रशिक्षण महाविद्यालय से अन्यत्र स्थानान्तरण का दावा मान्य नहीं होगा। महिला उम्मीदवारों का नामांकन मात्र डायट, जसीडीह में ही की जा सकेगी।

14— अनुलग्नक (निम्न प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें एवं संबंधित बॉक्स में हौं/नहीं लिखें)

क्र०सं०	विवरण	हौं / नहीं	क्र०सं०	विवरण	हौं / नहीं
1	मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र		8	एन०सी०सी० (बी० एं और सी० प्रमाण पत्र यदि हैं तो संलग्न करें)	
2	मैट्रिक का अंक पत्र		9	आवासीय प्रमाण पत्र	
3	इंटर का अंक पत्र		10	जाति प्रमाण पत्र	
4	स्नातक (पासकोर्स) का अंक पत्र		11	दिव्यांगता प्रमाण पत्र	
5	स्नातक (प्रतिष्ठा) का अंक पत्र		12	आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक वर्ग का प्रमाण पत्र	
6	स्नातकोत्तर का अंक पत्र			स्वपता लिखा हुआ लिफाफा, जिस पर 25/- रुपये का डाक टिकट सहित ।	
7	खेलकूद (देश/राज्य का खेलकूद में प्रतिनिधित्व करने का प्रमाण पत्र यदि हैं तो संलग्न करें)		13		

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में अंकित एवं संलग्न सभी सूचनाएँ प्रमाण पत्र मेरी जानकारी में सत्य हैं। नामांकन के समय या प्रशिक्षण के दौरान कोई भी उक्त अंकित सूचना गलत पायी जाती है तो मेरा/मेरी उम्मीदवारी रद्द/महाविद्यालय से निष्कासित कर दी जाये तथा कोई भी सूचना या प्रमाण पत्र गलत पाये गए तो दण्ड का भागी होऊँगा/होऊँगी तथा मेरे उपर कार्रवाई की जाए। चयनित/अनुशासित प्रशिक्षण महाविद्यालय में नामांकन कराऊँगा/कराऊँगी एवं अन्य जगह स्थानान्तरण के लिये किसी भी परिस्थिति में दावा नहीं करूँगा/करूँगी।

स्थान :—

तिथि:—

आवेदक का हस्ताक्षर

20/03/23